फा.सं. 27/01/2010–एस. आर. (एस.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली – 110003
दिनांक 18 जून, 2010

18 JUN 2010

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

विषयः– **सचिवालय विभाग के कार्मिकों से संबंधित दाम्पत्य नीति से आच्छादित प्रकरणों पर राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 22 जनवरी 2010 को आयोजित 75वीं बैठक में विचार ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 22 जनवरी 2010 को आयोजित बैठक में विचारोपरांत समिति ने संलग्नक में उल्लिखित सचिवालय कार्मिकों के अभ्यावेदनों को दाम्पत्य नीति से आच्छादित होने के कारण स्वीकृत करने की संस्तुति की है ।

भारत सरकार ने इन संस्तुतिओं को मान लिया है एवं संलग्न सूची के स्तम्भ 2 में कार्मिक अपने अभ्यावेदनों के अनुसार उत्तरप्रदेश राज्य में ही बने रहेंगे ।

कृपया संबंधित अधिकारिओं को इन निर्णयों से अवगत करा दिया जाए ।

Deptt. of Personnel & Trg.
Receipt & Issued Section
18 JUN 2010
ISSUED

भवदीय

(वी0 पेद्दन्ना)
उप सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
2. श्री सुभाष कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड पुर्नगठन समन्वय विभाग देहरादून ।

संलग्नक 3 कर्मिकों की सूची

उत्तर प्रदेश सचिवालय

कमांक	कार्मिक का नाम/पदनाम/तैनाती	नियुक्ति तिथि	पत्नी/पति का नाम/पदनाम/तैनात	नियुक्ति तिथि	समिति की संस्तुति
1	2	3	4	5	6
1	श्री दयाकृष्ण डालाकोटी, निजी सचिव (उत्तराखण्ड राज्य हेतु अन्तिम रूप से आवंटित)		श्रीमती विमला डालाकोटी, सहायक अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय, कटहा सबौली, लखनऊ।	02–10–1981	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग के शासनादेश दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण श्री डालाकोटी को उत्तर प्रदेश राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गयी।
2	श्री हयात् सिंह मेहता, अपर निजी सचिव, (उत्तराखण्ड राज्य हेतु अन्तिम रूप से आवंटित)	02–09–1996	श्रीमती माना मेहता, सहायक समीक्षधिकारी, उत्तर प्रदेश सैनिक पुर्नवास निधि, राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ।	03–09–1991	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग के शासनादेश दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण श्री मेहता को उत्तर प्रदेश राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गयी।
3	श्री उमेश चन्द्र पन्त, अपर निजी सचिव, (उत्तराखण्ड राज्य हेतु अन्तिम रूप से आवंटित)	01–09–1984	श्री प्रेमा पन्त, सहायक अध्यापिका, प्राथमिक पाठशाला, गाजीपुर, बस्तौली, लखनऊ।	21–11–1983	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग के शासनादेश दिनांक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित होने के कारण श्री पन्त को उत्तर प्रदेश राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गयी।